

‘किसानों के आंदोलन को समझना’

इसके लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि किसानों के मुद्दों पर अर्थशास्त्रियों की टिप्पणीयां अब दुखदाई स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। जिस सलाहकार से सलाह मांगी जाए जब वह इतना कठोर हो जाए कि कहने लगे कि किसानों का आंदोलन राजनैतिक है और अपने कथन को सही ठहराने के लिए बोले कि किसानों की आत्महत्याओं में कमी हो रही है और किसानों की समृद्धी बढ़ रही है, तो ऐसे में कोई चुप कैसे बैठ सकता है।

किसानों की आत्महत्याओं में कमी के आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है, जबकि उन्हीं आंकड़ों से साबित होता है कि वर्ग 2015 में इनमें 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ग 2014 के बाद किसानों की आत्महत्याओं की संख्या को कृषि श्रम से अलग कर दिया गया है और इसीलिए आत्महत्या के आंकड़े भी अलग दिखाए जा रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीशा जैसे कई राज्य किसानों की आत्महत्याओं का रिकॉर्ड नहीं देते हैं। किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े अविश्वसनीय ही रह जाते हैं, उदाहरण के लिए भूमि सामान्यतः आदमी के नाम पर पंजीकृत होती है तो जब कोई महिला किसान आत्महत्या करती है तो उसे किसान नहीं माना जाता।

यह एक तीखा व्यंग्य है कि किसानों को कहना की न्यूनतम समर्थन मूल्य, सी.पी.आई. और डब्ल्यू. पी.आई. बदल रहे हैं, तथा किसानों की आय दोगुनी हो रही है और आत्महत्याओं में कमी आ रही है। वर्तमान किसान आंदोलन का मूल कारण कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलना है। सरकार द्वारा अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना ही पर्याप्त नहीं है। कुछ फसलों के लिए ही समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन उनमें से भी दो-तिहाई फसलें घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकती हैं, और पिछले वर्ग की तुलना में किसानों को अधिक हानि हो रही है, यही वास्तविकता है। 80 प्रतिशत से अधिक कृषि फसलें समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं खरीदी जाती। सब्जियों के भाव भी आधे रह गये हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे जिसके अधीन फसल की उत्पादन लागत और 50 प्रतिशत का लाभ किसानों को दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने चुपचाप उच्चतम न्यायालय में ऐफिडेविट दे दिया कि वह इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकती। किसान इस सरकार के प्रति अपनी आशा और विश्वास खो रहे हैं, जैसा कि पहले की सरकारों ने विश्वास खोया था और अपने वादे लगातार तोड़ती रही।

पिछले वर्ग महाराष्ट्र में किसानों ने मजबूर होकर रु. 16 प्रति लिटर की दर से दूध बेचा, जबकि इसका अन्य राज्यों में औसत मूल्य रु. 35 प्रति लिटर था। अधिकतम किसान पशु रखते हैं और दूध का मूल्य कम मिलने के कारण वे पशु पालते थे, लेकिन सरकारी नीति ने घी के आयात की

नीति से इसको भी हानि पहुंचाई और गो-मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और भैंस की बिक्री के लिए सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिए हैं। प्रत्येक किसान को नकद हानि हो रही है। इन सभी कारणों से किसानों की कुंठा बढ़ी जिसका विस्फोट होना निश्चित था।

एक दशक की गलत नितियों के बाद महारा-ट्र में किसान आंदोलन तो होना ही था, लेकिन मध्य-प्रदेश में भी किसान आंदोलन होना बहुत आश्चर्यजनक है, जहां के किसान दोहरे अंकों में वृद्धि दर प्राप्त कर रहे थे और अब उस राज्य में लगभग सभी कृ-नि क्षेत्रों में मंदी देखने में आ रही है। अर्थशास्त्रीयों का कृ-नि क्षेत्र में कुछ भी दांव पर नहीं लगा हुआ, इस कारण वे कृ-नि सकल घरेलू उत्पाद और कृ-नि उत्पादन की वृद्धि का ढिंडोरा पिटकर किसानों की समृद्धि का ब्यान कर रहे हैं और किसान आंदोलन को राजनैतिक कहकर अपने आप को बचा रहे हैं। उत्पादन बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि किसानों की आय भी बढ़ी। इसके विपरित जब उत्पादन अधिक होता है, तो किसान को ही अधिक हानि उठानी पड़ती है। किसान आंदोलन नोटबंदी अथवा कृ-नि अपस्फीति या गरीबी के बारे में नहीं है, यह केवल किसानों की आकांक्षाओं पर खरा न उतरने के बारे में है, क्योंकि किसान देख रहे हैं कि अन्य सभी वर्गों के लोग उनके परिश्रम पर अधिक लाभ और प्रगति कर रहे हैं, जबकि स्वयं किसानों का जीवन स्तर बद्तर होता जा रहा है। बढ़े-बढ़े विद्वान भी जान बूझकर मुद्रा स्फीति और भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान को नजरअंदाज कर रहे हैं और किसानों के संकट को वे समझ ही नहीं पाते।

किसान आंदोलन से यह बात समझ आ रही है कि मोदी राज के पिछले 3 वर्-ों में उनकी स्थिति कैसी हो चुकी है। पिछली ऐन.डी.ऐ. सरकार ने बढ़े जोरशोर से 'शार्निंग इंडिया' अभियान को बार-बार दोहराया जो कि पूरी तरह सेून्य साबित हुआ।

कृ-नि क्षेत्र में अवयवस्था मोदी राज की देन नहीं है, किंतु उनसे बहुत आशाएँ थी कि वे किसानों की मुसिबतों को दूर करेंगे। अब गैर कृ-नि रोजगार की उम्मीदें और अच्छे दिन की उम्मीद समाप्त होती जा रही है, और श्रीमान मोदी भी कृ-नि सुधारों के प्रति अपने मनोबल को खोते जा रहे हैं, इस कारण उन्हें भी यू.पी.ऐ. सरकार की तरह लोक-लुभावन घो-णाओं तक ही सीमित रहना होगा।

सबसे बढ़ा मुद्दा यह नहीं है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, बल्कि आंदोलन करने के बाद भी उनकी समस्याओं को कोई ठोस समाधान क्यों नहीं हो पाता। कृ-नि क्षेत्र पर निर्भर सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के मांग है, न ही कर्ज माफी की। कृ-नि कामगारों की मांग कभी नहीं बढ़ी और इस कारण किसान आंदोलन सफल नहीं हो पाते। किंतु पहली बार किसान आंदोलन में शिक्षित युवा भी कूदे हैं और इस मुहिम में अपने परिवार के सदस्यों को भी ामिल कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किन्हीं राजनेताओं या किसी नेता द्वारा नहीं किया जा रहा। वास्तव में गैर संगठित किसान इकट्ठे हो चुके हैं और ऐसा प्रभाव दिखा चुके

हैं जो संयुक्त रूप से विपक्षी दल भी नहीं कर पाते, इस कारण सरकार को घुटने टेकने पड़े। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि किसानों ने यह दिखा दिया है कि वे अपने बल पर ऐसा कर सकते हैं।

किसानों के ऋण माफ करने से ही कोई भी कमजोर सरकार विमुख किसानों के असंतो-न को दूर नहीं कर सकती, किंतु केवल उनकी अनिश्चि-ता को कुछ समय के लिए टाल सकती है। जिंसों के अंतर्रा-ट्रीय मूल्य कपास और मक्का के मूल्य भी आने वाले फसल मौसम में कम हो रहे हैं, ये सभी मुद्दे ही अगले किसान आंदोलन भाग-2 के प्रमुख मुद्दे होंगे।

डॉ. अरविन्द सुब्रमण्यन - भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रा-ट्रीय कृ-नि विज्ञान अकादमी में दिये गये व्याख्यान का सार

भारतीय कृ-नि का स्वरूप बदलना

1. कृ-नि का क्या महत्व है:

कृ-नि के महत्व के कारणों से सभी भलीभांति परिचित हैं: यह बहुत से लोगों को आजीविका, सभी को अनाज, बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है और कृ-नि क्षेत्र में प्रगति न होने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, राजनैतिक और सामाजिक विरक्ति तथा असंतो-न भी बढ़ता है - इन सभी से अर्थव्यवस्था पिछड़ती है।

भारत वर्-न की कृ-नि नि-पादनशीलता में सुधार के लिए आवश्यक 10 अथवा 20 उपायों की सूची देना सरल है: कृ-नि अनुसंधान और शिक्षा की बिगड़ती हालत पर रोक लगाना तथा संस्थाओं का विस्तार करना, कृ-नि क्षेत्र के लिए उदारता बरतना, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहित करना। किंतु इसकी सूची देना तो सरल है, लेकिन ायद अनुपयोगी भी। इसका मुख्य कारण है कि जो भी विशेष-ज्ञ किसी सुधार की सिफारिश करते हैं तो हम उनसे एक साधारण प्रश्न पूछते हैं कि 'क्या यह कृ-नि क्षेत्र के लिए लाभकारी रहेगा, यदि ऐसा था तो इसे पहले क्यों नहीं लागू किया गया ? प्रश्न अथवा परिकल्पना है: क्या यह संभव है कि हम अन्य फसलों (सब्जी, दालें) और इन्हें उगाने वाले किसानों की तुलना में अन्य फसलों (अनाज) को वास्तविक रूप से चाहते हैं।

2. सफलताएँ

मैं कृषि क्षेत्र की कुछ उपलब्धियों और कमीयों के बारे में बताना चाहूँगा। वर्ष 1947 से भारतीय कृषि ने एक लंबा सफर तय किया है। हमने खाद्य सुरक्षा में आत्म निर्भरता - कुछ प्रमुख फसलों में, ग्रामीण निर्धनता दर में पर्याप्त कमी की है, कृषि आय में भी वृद्धि हुई है, पौष्टिकता स्तर में भी सुधार हुआ है।

सफलता के क्षेत्र में मैं निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा:

गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ते हुए भारतीय कृषि में हरित क्रांति आई है, विशेषकर उत्तरी भारत और उसके बाद दक्षिणी भारत में। इसका श्रेय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान को तो जाता है, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों, कृषि वैज्ञानिकों और अनुसंधान कर्ताओं, सार्वजनिक संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधिक जाता है क्योंकि उन्होंने तकनीक का लिंक वास्तविक अच्छे कृषि परिणाम में परिवर्तित किया।

दूध क्रांति जिसने भारतीय डेरी क्षेत्र में परिवर्तन किया, इस कारण दुग्ध उत्पादन बढ़ा, आयात पर निर्भरता कम हुई, कृषि क्षेत्र से संबंधित संस्थागत संरचनाओं का सृजन किया और उनमें भाग भी लिया तथा डेरी आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ किया।

उपरोक्त क्षेत्र में सफलताओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जैसे कि गुजरात में कपास, बिहार में मक्का, उत्तर-प्रदेश में चीनी, मध्य-प्रदेश में गेहूँ और पश्चिम बंगाल में आलू।

3. सभी कुछ अच्छा नहीं है

इतनी सफलताएँ प्राप्त करने के बाद भी हमें कई समस्याओं का समाधान करना है। अपने दावे के समर्थन में मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ: भारत की समग्र कृषि कामगार उत्पादकता चीन से दो-तिहाई और सीमांत देशों से 1 प्रतिशत के लगभग कम है। भूमि उत्पादकता (प्रति एकड़ फसल के रूप में) भी सीमांत देशों से काफी कम है। उदाहरण के लिए भारत में चावल की उत्पादकता चीन की तुलना में 50 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में एक-तिहाई है।

फिगर 1. समग्र कृषि उत्पादकता: सीमांत देशों से अभी भी काफी कम है।

दूसरा, कृषि आय (सिंचाई, ऋद्ध-लागत और स्थानीय बाजार की दरों पर नहीं बेचे गये उत्पादों का मूल्य) अभी भी काफी कम है। एक मध्यम किसान परिवार की ऋद्ध वर्ष 2012-13

में रु. 19,250 के लगभग थी अथवा प्रति माह रु. 1,600 थी, यह आय निर्धन रेखा से बहुत अधिक नहीं है। निःसंदेह कई भिन्नताएँ हो सकती हैं लेकिन सच यह है कि भारत में किसान बनना लाभकारी नहीं है।

फिगर 2. कृषि परिवारों की आय।

4. नई चुनौतियाँ

कई नई और गंभीर चुनौतियाँ हैं: 4 प्रमुख कृषि संसाधन हैं: वातवरण, पानी, भूमि और भूमि की गुणवत्ता, इन सभी क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादकता कम होगी और फसलों की किस्मों में वृद्धि होगी (इन सभी का भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है); जलवायु परिवर्तन से पानी की कमी हो रही है और इसका कारण कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग तथा घरों में दुरुपयोग, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में भूमि की गुणवत्ता न-ट हो रही है तथा जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इस भूमि का अन्य क्षेत्रों में उपयोग लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

5. (क) अनाज पर निर्भरता

हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं, लेकिन यह लाभ केवल उन किसानों को मिल पाता है जो बाजार में बेचने योग्य फसलें उगाते हैं और यह लाभ केवल मोटे अनाजों और गेहूं पर ही मिलता है। इसका लाभ भी कुछ ही राज्यों को मिलता है, जैसे कि उत्तर-भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य।

इसके बाद हम बिजली, पानी, खाद (अब दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सहायता वाली वस्तु), बीज, ऋण, हम कृषि आय को आयकर से मुक्त रखते हैं और समय-समय पर कर्ज माफी दे रहे हैं।

5. (ख) छोटे किसानों को नहीं बल्कि बड़े किसानों को

आर्थिक सहायता का लाभ न केवल अनाज उगाने वाले किसानों को मिलता है, बल्कि यह बड़े किसानों को भी मिलता है, अथवा यह छोटे किसानों तक तो पर्याप्त रूप से पहुंच ही नहीं पाता।

कई उदाहरण: परिभाषिक रूप से कृषि आय में छूट केवल उन बड़े किसानों को मिलती है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। खाद पर आर्थिक सहायता का लाभ केवल छोटे और मझौले किसानों को तो एक-तिहाई भाग ही मिलता है, बाकी सारा लाभ बड़े किसानों को जाता है। कृषि ऋण की राशि देखने से भी पता चलता है कि सारा पैसा केवल किसानों को ही नहीं दिया जाता। कर्ज माफी के क्षेत्र में भी यह आश्चर्यजनक है कि छोटे और मझौले किसान औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से कम राशि का ऋण लेते हैं और सबसे अधिक ऋण वे अनौपचारिक साधनों से प्राप्त करते हैं। जबकि बड़े-बड़े किसान 75 प्रतिशत ऋण ले लेते हैं, बिजली के क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि इसका लाभ निम्न वर्ग के किसानों को केवल 10 प्रतिशत मिलता है और बड़े-बड़े किसानों को इसका आर्थिक लाभ 37 प्रतिशत तक अधिक होता है, क्योंकि वे अत्यधिक मात्रा में बिजली का उपभोग करते हैं।

6. कुछ फसलों को कम महत्व देते हैं

यदि हम कुछ फसलों को अत्यधिक महत्व देंगे तो अधिकतम फसलों को कम महत्व देना पड़ेगा। यहां पर मैं दालों, डेरी और पशुधन, फल और सब्जियों तथा तिलहनों का उदाहरण देता हूँ।

दालों के मामले में इनका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है (बिना खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहां पर ध्यान देना होगा कि किसानों को इसका बहुत कम लाभ मिलता है) और इस खरीफ मौसम में इसके उत्पादन में 20 लाख टन की वृद्धि हुई है (कुल 87 लाख मैट्रिक टन उत्पादन में से)। इसके पश्चात भी यह अनुमान है कि कुल तुर उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत भाग घोनित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचा गया है, जिस कारण दाल उत्पादकों को लाभ नहीं मिला। माल रखने की सीमा और निर्यात प्रतिबंध के कारण बाजार भाव निचे रहे, यदि उन्होंने किसानों का ध्यान रखा होता तो किसानों का भाग्य संवर सकता था।

यह एक महत्वपूर्ण धारणा है कि किसान और कृषि-उत्पादक मध्यमवर्ग के उपभोक्ता के हितों के बीच टकराव है। इससे संकट उत्पन्न होता है जिस कारण सरकारी नीतियों से कृषि वस्तुओं के मूल्य अस्थिर रहते हैं और कड़ी मेहनत करने वाले किसानों को अपनी फसल के मूल्य की अनिश्चितता बनी रहती है। अतः जब उपभोक्ता मूल्य बढ़ते हैं तो आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किंतु इस धारणा और इसके बाद नीति परिवर्तन करके किसानों के मूल हितों की रक्षा नहीं हो पाती। यदि आज किसान को कम मूल्य मिलेगा तो आने वाले समय में कृषि उत्पादन में कमी आएगी (विशेषकर उन फसलों के उत्पादन में जिनका आमतौर पर अधिक मात्रा में घरेलू उत्पादन किया जा रहा है, जैसे दालें, फल एवम् सब्जियां) और इसका परिणाम होगा कि आने वाले समय में उपभोक्ता मूल्य बढ़ जायेगा। इस प्रकार नि-कर्ना यह

है कि एक सही योजना और राजनैतिक वातावरण बनाने से किसान भी और उपभोक्ता दोनों को लाभ हो सकता है।

फल एवम् सब्जियों की बिक्री पर कृषि उत्पाद विपणन समितियों के माध्यम से प्रतिबंध लगाने से हानि हो रही है। अब सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमन मार्केट शुरू की है जिसके परिणामों की प्रतिक्षा है।

डेरी और पशुधन के मामले में यह जानना होगा की पशुधन किसानों की आर्थिक स्थिति उनके पास रखे हुए पशुधन के वास्तविक मूल्य पर निर्भर करेगी और वैसे ही पशुओं से प्राप्त होने वाले लाभ के भाग्य और भविष्य का निर्णय होगा। किंतु अभी तक पशुधन का क्षेत्र लाभकारी नजर नहीं आता। यहां में उल्लेख करना चाहूंगा की भारतीय उपभोक्ताओं का प्रोटीन पर महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत के लोगों में पौष्टिक आहार की कमी से उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। उनके स्वास्थ्य को बचाने के लिए अनाज पर निर्भरता कम करके प्रोटीन वाली फसलों को महत्व देना होगा, जैसे की दालें, डेरी उत्पाद और पशुधन।

अंत में मैं तकनीकी पर विशेष बल देना चाहूंगा जो न केवल दालों, तिलहनों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि डेरी उत्पादों के लिए भी। किसानों को भी नई तकनीक का लाभ वैसे ही पहुंचाया जाए जैसा कि अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को पहुंचाया जा रहा है।

7. नि-कर्ष

फसलों की 2 किस्मों के बीच के असंतुलन को कैसे दूर किया जा सकता है ?

जिन फसलों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, इस संबंध में यह एक बड़ी चुनौती है कि सरकार या राजनैतिक रूप से उन फसलों पर दी जा रही आर्थिक सहायता के वर्तमान स्तर को कम कर दे। यह लगभग असंभव होगा। इसकी एकमात्र संभावना है कि समर्थन की मात्रा बनी रहे किंतु इसके स्वरूप को बदलकर इसे प्रोत्साहन के रूप में दिया जाए। मेरा मानना है कि यदि दी जा रही आर्थिक सहायता के इन 3 रूपों को बदलकर प्रत्यक्ष सहायता के रूप में अपना लिया जाए तो यह राशि कम होकर लगभग रु. 1 लाख वार्षिक प्रति किसान तक हो सकती है, जिससे सरकारी राजस्व पर भी कम बोझ पड़ेगा।